

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस50

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 04/2025

- | प्रार्थी- | बनाम |
|---|------|
| 1. श्री रतनलाल पुत्र नन्द
किशोर जाति खण्डेलवाल
निवासी बालोतरा, तहसील
पचपदरा, जिला बालोतरा। | |

अप्रार्थीगण-

1. श्री छगनलाल पुत्र दानमल
जाति खत्री निवासी सिणधरी
चौसीरा, तहसील सिणधरी,
जिला बालोतरा
2. सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी
चारणान (वर्तमान अध्यक्ष,
नगरपालिका सिणधरी), तहसील
सिणधरी, जिला बालोतरा।
3. श्री अचलदास पुत्र गुणेशमल
जी जाति खण्डेलवाल, निवासी
सिणधरी, जिला बालोतरा।
4. श्री विक्रम कुमार पुत्र स्वर्गीय
श्री भंवरलालजी जाति
खण्डेलवाल, निवासी सिणधरी,
जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज
अधिनियम, 1996 विरुद्ध पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 जो
अप्रार्थी सं. 01 के नाम ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान द्वारा जारी
किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री करणसिंह चारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रियतम आदाज, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से
उपस्थित।
4. श्री देवीसिंह महेचा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित।
5. श्री दिनेश कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20.08.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान द्वारा
जारी पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 के विरुद्ध दिनांक 27.01.2025 को
इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम सिणधरी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 265 वर्गगज दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ोस बदिशा उत्तर में बाड़मेर जालौर हाइवे व 53 फीट, दक्षिण में रतनलाल व अन्य व 53 फीट, पूर्व में आव रास्ता व 45 फीट, पश्चिम में गोरधनराम प्रजापत व 45 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सिणधरी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता जवाब में कथन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड बनाप 53 बाई 45 फीट कुल 2385 वर्गफीट, अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं का जरीये पंजीकृत पट्टा विलेख दिनांक 20.09.2024 (पंजीकरण दिनांक 08.10.2024) के स्वामित्व मालिकाना का कब्जासुदा का है। प्रार्थी द्वारा बताया गया एक अवैध इकरारनामा जो अनाधिकृत होने से आदित शून्य हैं ऐसे अनाधिकृत इकरारनामा से प्रार्थी को कोई हक अधिकार स्वत्व: प्राप्त नहीं हुए और न विधि के अन्तर्गत हो ही सकते हैं। प्रार्थी ने ऐसा कोई असल पट्टा वर्ष 1975, बाबूराम द्वारा बेचान करार व असल इकरारनामा दिनांक 20.02.2012 प्रकरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। निगराकार द्वारा तथाकथित बाबू के नाम से जारी पट्टे का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत सिणधरी में कभी भी नहीं रहा क्योंकि वास्तविकता में ऐसा पट्टा कभी भी जारी ही नहीं किया और न इस बाबत कोई पत्रावली कायम ही की गई। धारा 49 पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत प्रार्थी को अपंजीकृत बेचान करार से कोई हक, हित, अधिकार एवं स्वत्व प्राप्त नहीं हुए है। उस इकरारनामा के तहत निगराकार को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हुये और न हो ही सकते। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा की सम्पूर्ण कार्यवाही उससे पूर्व ही ग्राम पंचायत सिणधरी (अप्रार्थी संख्या 2) द्वारा वैधानिक तौर से कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया था। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा पंजीकृत होने से (पंजीकरण दिनांक 04.10.2024) विधिक रूप से सक्षम श्री सिविल न्यायालय द्वारा ही इसे रद्द/निरस्त किया जा सकता है। अचलदास का प्रश्नगत पट्टासुदा भूखण्ड मय परिसर में कोई हक, अधिकार व मौके पर कोई आंशिक कब्जा ईत्यादि तक नहीं है एवं जिन दस्तावेजों व पाड़ोस का उल्लेख अपने प्रार्थना-पत्र में किया है उनका प्रश्नगत पट्टासुदा भूखण्ड मय परिसर से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके पाड़ोस व नाप में बिल्कुल परस्पर भिन्नता है। पुनरीक्षण श्री न्यायालय को केवल इस निगरानी में यह ही देखना है कि उक्त पट्टे की कार्यवाही में ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकारिता का गलत प्रयोग में तो नहीं लिया है और अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता से कार्य तो नहीं



किया गया है। ये ऐसे दस्तावेजों की विधिक रूप से जांच व परीक्षण कर उनसे उत्पन्न अधिकारों का न्याय-निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय ही कर सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करने में पंचायतीतराज अधिनियम 1996 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पट्टा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 का पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारिज करने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता जवाब में यह कथन किया कि उक्त अलोच्य पट्टा राज नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है तथा सम्पूर्ण पत्रावली पेश कर रजिस्टर में दर्ज कर नक्शा शुल्क व पट्टा शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार विधिनुसार पट्टा जारी किया गया है। आवेदक पट्टाधारक का मौके पर पुराना कब्जा था, इसलिये ग्राम पंचायत में पट्टे की पत्रावली पेश की। पत्रावली कायम कर आवेदक को पट्टा की प्रक्रिया शुरू की और नियमानुसार शुल्क प्राप्त किया गया तथा मौका निरीक्षण हेतु कमेटी गठित कर रिपोर्ट प्राप्त की। आपत्तियां आमंत्रित की कोई एतराज नहीं मिला तब पट्टा जारी किया गया और पंजीकृत करवाया गया। उक्त पट्टा से सम्बंधित भूखण्ड पूर्व में किसी व्यक्ति को पट्टा जारी नहीं किया हुआ था, न ऐसा रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में था। मौके पर आवेदन पट्टा धारक के अलावा कोई व्यक्ति काबिज नहीं था, इसलिए आवेदक को पट्टा जारी किया। उक्त आलोच्य पट्टा विधिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया, कोई अनियमितता नहीं की। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत व असत्य तथ्यों पर आधारित होने से व्यय सहित खारिज फरमायी जावे।
6. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता दौराने जवाब में कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड आबादी भूमि खसरा नंबर 4/1 का सिणधरी चारणान ग्राम पंचायत में आवासीय भूमि आई हुई है। सन् 1975 में बाबूराम के पक्ष में विकास अधिकारी सिणधरी द्वारा जारी किया गया। बाबूराम से भंवरलाल खण्डेलवाल के नाम से भूखण्ड खरीद किया गया था, जिसका नाप भूखण्ड 45 बाई 30 फिट का कुल क्षेत्रफल 1350, जिसके बदिशा उत्तर में बाडमेर जालोर रोड़, पूर्व में 15 फिट का रास्ता व प्यारू व दक्षिण में गुमना वल्द राजा मेगवाल का प्लोट तथा पश्चिम में धरमा नेनाजी सुंगा खण्डेलवाल का प्लोट आया हुआ था। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा खरीदे गये दोनो भूखण्डों में से 30 बाई 70 फिट हक हिस्सा का अचलदास द्वारा आगे बेचान किया गया है एवं शेष हिस्सा 15 बाई 70 फिट पर आज रोज भी अचलदास का कब्जा व उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त आलोच्य भूखण्ड का नाप 53 गुणा 45 का पट्टा संख्या 2048 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है, जबकि उक्त भूमि पर पूर्व में जितेन्द्र कुमार के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 4 का नाप, बाबु छोगा, गमना पुत्र राजा, आसुराम पुत्र कोजाराम के नाम जारी पट्टा वर्ष 1975 का नाप एवं विभिन्न मुकदमों में उक्त भूमि का नाप 30 बाई 45 का होना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड जो बाबू के पक्ष में जारी पट्टा से अधिक नाप का जारी करने से अप्रार्थी संख्या 3 का खरीदसुदा भूखण्ड का नाप ओवरलेप होने से पूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 3 का भूखण्ड प्रभावित होकर भूखण्ड के नाप को कम किया गया है। आपसी सहमति अप्रार्थी संख्या 4 विक्रम कुमार द्वारा स्वर्गीय भंवरलाल के वारिसान मुख्तारनामा के आधार पर दिनांक 06.08.2024 को देना बता रहे है



तथा दुसरी सहमति जितेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल के द्वारा आगे पिता छगनलाल को दिनांक 06.08.2024 को देना बता रहे हैं, जबकि जितेन्द्र कुमार का इसी विवादित भूखण्ड का पट्टा श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा दिनांक 04.02.2019 को निरस्त किया जा चुका है जो स्वर्गीय भंवरलाल द्वारा निरस्त करवाया गया है। आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 के भूखण्ड के स्वामित्व की भूमि को ओवरलिपिंग पट्टा अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा बिना किसी सार्वजनिक सूचना एवं अप्रार्थी संख्या 3 को सूचित किये बिना अवैधानिक रूप से प्राप्त किया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 1 अनुसार पट्टा जारी करने वाले आवंटी का उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षों से अधिक पुराने आवासीय घर पर कब्जा होना चाहिए, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में अपने भूखण्ड किस श्रेणी का है तथा अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को जारी करते समय पंचायती राज नियम 157(1) की पालना नहीं की गई है। इसके अलावा पंचायती राज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आमंत्रित कर व हस्ताक्षर कर चस्पा करनी होती है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस कहीं पर चस्पा किया व हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 की भी पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

7. अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता जवाब में कथन किया कि कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 4 व उसकी सभी बहिनो के द्वारा उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में निष्पादित उपरोक्त राजीनामा दिनांक 31.05.2024 के प्रभाव को बेअसर करवाने एकल हक स्वामित्व के कब्जासुदा भूखण्ड मय परिसर को कपटपूर्वक हड़पने के आशय से प्रार्थी रतनलाल द्वारा फर्जी इकरारनामा भूखण्ड बेचान दिनांक 20.02.2012 भंवरलालजी के हस्ताक्षरों की कूटरचना कर जालसाजी की गई। उक्त भूखण्ड प्रार्थी द्वारा भंवरलाल से खरीदना होना बताया गया, लेकिन उक्त इकरारनामा पर अप्रार्थी संख्या 4 के पिता हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशान आदि ही किये और न ऐसा कोई बेचान आदि ही किया गया। उपरोक्त प्रकरण के मध्यक्षेपी प्रार्थी अचलदास जो वर्तमान निगरानी प्रकरण में पत्रावली पर पक्षकार बतौर अप्रार्थी संख्या 3 उसके ही आवेदन पर बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 4 के पिता स्व. भंवरलाल का सगा भाई है तथा उन दोनों के आपस में हमेशा से पारिवारिक मन-मुटाव रहा था। अचलदास का प्रश्नगत पट्टासुदा भूखण्ड मय परिसर में कोई हक, अधिकार व मौके पर कोई आंशिक कब्जा ईत्यादि तक नहीं है। प्रार्थी द्वारा कथित भूखण्ड के पड़ोस भी मौके की वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। उक्त आलोच्य पट्टा पंजीकृत दस्तावेज हैं, जिससे प्रार्थी को केवल सक्षम सिविल न्यायालय में मात्र विनिर्दिष्ट अनुबन्ध पालना हेतु कार्यवाही करने का ही अधिकार हो सकता है। ग्राम पंचायत सिणधरी ने अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पर ही एवं उसके नाम पट्टा पत्रावली कायम कर प्रक्रिया आगे आरम्भ करते हुये सभी विधिक औपचारिकताओं व प्रक्रिया का सम्यक् निवर्हन कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के



आज्ञापक प्राक्धानो का समुचित रूप से पालन कर पट्टा कमांक सं. 2408 अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत व असत्य तथ्यों पर आधारित होने से व्यय सहित खारिज फरमायी जावें।

8. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी व लाधुराम पुत्र धीमाराम जाति विश्‍नोई निवासी आसोतरा का संयुक्त रूप से खरीदसुदा भूखण्ड ग्राम सिणधरी चारणान की पुरानी आबादी भूमि खसरा नंबर 4/1 बालोतरा रोड के पीछे आवासीय प्रयोजनार्थ का आया हुआ है। जिसका पट्टा वर्ष 1975 में बाबूराम के नाम से ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया था। पट्टाधारक बाबूराम ने उक्त भूखण्ड भंवरलाल खण्डेलवाल पुत्र गुणेशमलजी जाति खण्डेलवाल निवासी सिणधरी को बेचान किया था तथा प्रार्थी व लाधुराम ने भंवरलाल खण्डेलवाल से जरिये इकरारनामा दिनांक 20.02.2012 को खरीद किया था। उक्त भूखण्ड पर बाद खरीद वर्तमान में प्रार्थी का एकमात्र कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड का पडोस उतर में मुख्य बाडमेर जालोर सडक मार्ग, दक्षिण में प्रार्थी का भूखण्ड, पूर्व में भंवरलाल बनाम छगनलाल का विवादित भूखण्ड, पश्चिम में प्रार्थी का भूखण्ड आया हुआ है। सिणधरी नगर पालिका घोषित होने के बाद अप्रार्थी संख्या 01 ने सरपंच से मिलीभगत कर पट्टा सं. 2408 पुरानी तारीख में व सरकारी दस्तावेजात में कांट छांट कर पट्टा जारी करवाया है। अप्रार्थी संख्या 2 का 50 वर्ष पुराना कब्जा नहीं होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा धारा 157 (क) राज. पंचायती राज अधिनियम की शर्तों की पालना नहीं करते हुए आलोच्य उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त भूमि सिणधरी चारणान में खसरा नंबर 4/1 में है जिसका भू स्वामी केवल पट्टाधारक बाबूराम था, जिसका पट्टा वर्ष 1975 में विकास अधिकारी सिणधरी द्वारा जारी किया गया। उसके बाद भंवरलाल खण्डेलवाल ने उक्त भूखण्ड बाबूराम से खरीद किया था, फिर भंवरलाल खण्डेलवाल से उक्त भूखण्ड निगराकार ने खरीद करने से वर्तमान में उक्त भूखण्ड के निगराकार का कब्जा है। उक्त भूखण्ड के संबंध में भंवरलाल खण्डेलवाल ने छगनलाल के विरुद्ध दिनांक 14.08.1988 को 145 सीआरपीसी के तहत एसडीओ गुडामालानी के समक्ष पेश किया गया, जिसमें उक्त भूखण्ड पर भंवरलाल द्वारा अप्रार्थी छगनलाल को 20 बाई 20 की दुकान बनाकर किराये पर दी गई, होना बताया गया। उक्त प्रकरण की जांच थानाधिकारी सिणधरी ने कर मुकदमा संख्या 25/1988 एसडीएम कोर्ट गुडामालानी में तारीख 31.10.1996 को भंवरलाल के पक्ष में कब्जा होना माना गया। अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल द्वारा मुकदमा संख्या 25/1988 निर्णय दिनांक 31.10.1996 के विरुद्ध न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीन, बाडमेर के समक्ष निगरानी पेश की गई। छगनलाल द्वारा पेश निगरानी प्रकरण संख्या 1/97 दिनांक 06.08.1997 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाडमेर द्वारा भंवरलाल का कब्जा मानते हुए कोस्ट के साथ खारिज की गई। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा उक्त आलोच्य भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के पुत्र जितेन्द्र के नाम पट्टा संख्या 4 दिनांक 20.12.2007 को 30 गुणा 45 का पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा संख्या 04 दिनांक 20.12.2007 के विरुद्ध भंवरलाल द्वारा निगरानी संख्या 34/2015 न्यायालय जिला कलक्टर, बाडमेर के समक्ष पेश की गई। न्यायालय जिला कलक्टर, बाडमेर द्वारा भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 34/2015 को स्वीकार करते हुए ग्राम



जिला कलक्टर
बालोतरा

पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 20.12.2007 को दिनांक 04.02.2019 को खारीज किया गया। उक्त पट्टे एवं अन्य पट्टा फर्जी बनाने के कारण तत्कालिन सरपंच को निलंबित किया गया, जिसका बालोतरा भास्कर पत्रिका दिनांक 29.10.2009 को प्रकाशित हुआ। न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर के निर्णय दिनांक 04.02.2019 के खिलाफ जितेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल द्वारा S.B.Civil Writ Petition no 4926/2019 उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष पेश की गई। उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 12.08.2024 में न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर के निर्णय दिनांक 04.02.2019 को निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पट्टा संख्या 04 दिनांक 20.12.2007 कानून विरुद्ध जारी किया गया था तथा उक्त रिट याचिका का निपटारा इस छुट के साथ किया जाता है कि दोनो पक्ष ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं एवं पंचायत अपने स्तर पर निर्णय ले सकती हैं, होना बताया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा मुकदमा संख्या 25/1988 निर्णय दिनांक 31.10.1996, निगरानी प्रकरण संख्या 1/97 निर्णय दिनांक 06.08.1997 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर, निगरानी संख्या 34/2015 निर्णय दिनांक 04.02.2019 न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर तथा S.B.Civil Writ Petition no 4926/2019 उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 12.08.2024 आदि प्रकरणों में भी छगनलाल का कब्जा नहीं माना गया है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल का उक्त आलोच्य भूखण्ड पर कही भी कब्जा नहीं रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 12.08.2024 को निर्णय पारित किया गया, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल द्वारा दिनांक 05.08.2024 को ही आवेदन किया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.08.2024 को बैठक कार्यवाही रजिस्टर में इंद्राज कर तथा उक्त आलोच्य भूखण्ड पर छगनलाल के पुत्र जितेन्द्र के नाम जारी हो रखा एवं उसी निगरानी खारीज उपरांत उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के नाम जारी किया गया। उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दोनो पक्षों को पट्टा जारी करने का स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के नाम आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जो S.B.Civil Writ Petition no 4926/2019 के पक्षकार नहीं होने के बावजूद छगलाल के नाम पट्टा जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा उच्च न्यायालय की पालना नहीं करते हुए तथा पंचायतीराज अधिनियम की पालना नहीं करते हुए आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

9. प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड का 53 गुणा 45 का पट्टा संख्या 2048 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है, जबकि उक्त भूमि पर पूर्व में जितेन्द्र के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 4 में वर्णित नाप, बाबु छोगा के नाम जारी पट्टा का नाप एवं विभिन्न मुकदमों में उक्त भूमि का नाप 30 बाई 45 का होना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त आलोच्य अधिवक्ता नाप का जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उक्त भूखण्ड किस प्रकार है, कितने वर्षों का कब्जा है, का अंकन नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा



अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 1 अनुसार पट्टा जारी करने वाले आवंटी का उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षों से अधिक पुराने आवासीय घर पर कब्जा होना चाहिए, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में अपने भूखण्ड किस श्रेणी का है तथा अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को जारी करते समय पंचायती राज नियम 157(1) की पालना नहीं की गई है। इसके अलावा पंचायती राज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आमंत्रित कर व हस्ताक्षर कर चस्था करनी होती है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस कहीं पर चस्था किया व हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 की भी पालना नहीं की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.08.2024 से पूर्व ही उक्त आलोच्य पट्टा की मिसल दर्ज दिनांक 05.08.2024 को ही दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इससे स्पष्ट होता है कि आलोच्य पट्टा लगभग एक महिने के भीतर जारी किया गया है, जबकि पंचायतीराज अधिनियम में 30 दिन केवल आपति आमंत्रित की जाती है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 4 ने कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड पर बाबु सोगा के नाम जारी पट्टा वर्ष 1975 को विकास अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है व फर्जी पट्टा है। इसके प्रत्युत्तर में विकास अधिकारी सिणधरी द्वारा उसी वर्ष में जारी पट्टा धारक गुमना पुत्र राजा के पड़ोस में बाबु का प्लॉट होना अंकित होना बताया गया एवं आसुराम पुत्र कोजाराम के नाम जारी वर्ष 1975 में पड़ोस में गमना का प्लॉट होना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आलोच्य भूखण्ड पर बाबु पुत्र सोगा का पट्टा नियमानुसार विकास अधिकारी सिणधरी द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को जारी किया गया है, जो पंचायतीराज नियमों के विपरित जाकर जारी किया है। इसके अलावा उक्त आलोच्य भूखण्ड पर जितेन्द्र पुत्र छगनलाल के नाम का दिनांक 20.12.2007 को पट्टा जारी हो रखा था, जो अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा दिनांक 04.02.2019 को खारीज किया गया। उक्त भूखण्ड पर पूर्व में पट्टा जारी होने उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया है, जो नियम विरुद्ध है। किसी भी भूमि पर एक बार पट्टा जारी होने के बाद उसी भूमि पर पट्टा नहीं बनाया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी जितेन्द्र के नाम पट्टा जो अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा खारीज किया है, उनके विरुद्ध जितेन्द्र द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर विवाद होने के उपरांत भी उक्त आलोच्य पट्टा छगनलाल के नाम जारी किया गया, जो पंचायतीराज के नियम के विपरित जाकर जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

10. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड बनाप 53 बाई 45 फीट कुल 2385 वर्गफीट, अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं का जरीये पंजीकृत पट्टा विलेख दिनांक 20.09.2024 के स्वामित्व मालिकाना का कब्जासुदा का हैं। उक्त आलालेच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है वो पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुए जारी किया गया



तथा उक्त आलोच्य पंजीकृत करवाया गया है। पंजीकृत दस्तावेजों का सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है, न कि श्रीमान जिला कलक्टर का। धारा 49 पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत प्रार्थी को अपंजीकृत बेचान करार से कोई हक, हित, अधिकार एवं स्वत्व प्राप्त नहीं हुए है। पुनरीक्षण निगरानी श्री न्यायालय को केवल इस निगरानी में यह ही देखना है कि उक्त पटटे की कार्यवाही में ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकारिता का गलत प्रयोग में तो नहीं लिया है और अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता से कार्य तो नहीं किया गया है। ये ऐसे दस्तावेजों की विधिक रूप से जांच व परीक्षण कर उनसे उत्पन्न अधिकारों का न्याय-निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय ही कर सकता है। भूखण्ड के पड़ोस भी मौके की वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं और ऐसे पाड़ोस व नाप का भूखण्ड मौके पर अवस्थित तक नहीं हैं। तथाकथित इकरारनामे में वर्णित बेचानकर्ता स्व. भंवरलाल ने कभी भी प्रार्थी या अन्य किसी को अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा कोई बेचान अथवा अन्तरण ईत्यादि तक नहीं किया। प्रार्थी ने जानबूझकर कूटरचित दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 20.02.2012 की संरचना कर उस पर स्व. भंवरलालजी के हस्ताक्षरों की कूटरचना कर जालसाजी किया गया तथा अपना मुख्य आधार दस्तावेज बनाकर यह झूठा प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई असल पटटा वर्ष 1975, बाबूराम द्वारा बेचान करार व असल इकरारनामा दिनांक 20.02.2012 प्रकरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 08.04.2025 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी हेतु निगराकार के निगरानी के आधार दस्तावेजात पट्टा वर्ष 1975 के असल दस्तावेज पेश करने का निवेदन कर प्रस्तुत किया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा पूर्व में कभी भी बाबूराम के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड का कोई पटटा तक जारी नहीं किया गया था और नही ग्राम विकास अधिकारी आदि द्वारा भी कभी भी प्रश्नगत भूखण्ड का कोई पटटा तक जारी नहीं किया गया था। निगराकार द्वारा तथाकथित बाबू के नाम से जारी पटटे का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत सिणधरी में कभी भी नहीं रहा क्योंकि वास्तविकता में ऐसा पटटा कभी भी जारी ही नहीं किया और न इस बाबत कोई पत्रावली कायम ही की गई। मौके पर आज भी करीब 50 वर्षों से अधिक समय का निरन्तर नियमित पुराना निर्माण व कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का ही है, इसलिए धारा 157(1) राज. पंचायती राज नियम 1996 की शर्तों का पूर्ण विधिक रूप से पालन कर सम्यक् प्रक्रिया अपनाकर ही आपत्ति आमंत्रित के नोटिस ऐतराज आदि जारी कर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कानूनन सही पटटा जारी किया गया है। यदि प्रार्थी को उक्त पटटे की कार्यवाही में कोई आपत्ति होती तो वह अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष ऐतराज प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र था परन्तु प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 के कार्यालय में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पटटा की सम्पूर्ण कार्यवाही उससे पूर्व ही ग्राम पंचायत सिणधरी (अप्रार्थी संख्या 2) द्वारा वैधानिक तौर से कार्यवाही कर पटटा जारी किया गया था और उक्त पटटे का पंजीयन भी नगरपालिका, सिणधरी घोषित होने से पूर्व ही पंजीयन विभाग द्वारा किया गया था। निगराकार की निगरानी म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के है। अचलदास का प्रश्नगत पटटासुदा भूखण्ड मय परिसर में कोई हक, अधिकार व मौके पर कोई आंशिक कब्जा ईत्यादि तक नहीं है एवं जिन दस्तावेजों व पाड़ोस का उल्लेख अपने प्रार्थना-पत्र में किया है उनका प्रश्नगत पटटासुदा भूखण्ड मय परिसर से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके पाड़ोस व नाप में



जिला कलक्टर

जालोतरा

बिल्कुल परस्पर भिन्नता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करने में पंचायतीतराज अधिनियम 1996 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पट्टा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 का पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारिज करने का आदेश फरमावे।

11. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन किया कि उक्त अलोच्य पट्टा राज नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है तथा सम्पूर्ण पत्रावली पेश कर रजिस्टर में दर्ज कर नक्शा शुल्क व पट्टा शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार विधिनुसार पट्टा जारी किया गया है। आवेदक पट्टाधारक का मौके पर पुराना कब्जा था, इसलिये ग्राम पंचायत में पट्टे की पत्रावली पेश की। पत्रावली कायम कर आवेदक को पट्टा की प्रक्रिया शुरू की और नियमानुसार शुल्क प्राप्त किया गया तथा मौका निरीक्षण हेतु कमेटी गठित कर रिपोर्ट प्राप्त की। आपत्तियां आमंत्रित की कोई एतराज नहीं मिला तब पट्टा जारी किया गया और पंजीकृत करवाया गया। उक्त पट्टा से सम्बंधित भूखण्ड पूर्व में किसी व्यक्ति को पट्टा जारी नहीं किया हुआ था, न ऐसा रेकॉर्ड ग्राम पंचायत में था। मौके पर आवेदन पट्टा धारक के अलावा कोई व्यक्ति काबिज नहीं था, इसलिए आवेदक को पट्टा जारी किया। उक्त आलोच्य पट्टा विधिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया, कोई अनियमितता नहीं की। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत व असत्य तथ्यों पर आधारित होने से व्यय सहित खारिज फरमायी जावे।
12. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड आबादी भूमि खसरा नंबर 4/1 का सिणधरी चारणान ग्राम पंचायत में आवासीय भूमि आई हुई है। सन् 1975 में बाबूराम के पक्ष में पट्टा जारी किया हुआ है तथा बाबूराम से भंवरलाल खण्डेलवाल के नाम से भूखण्ड खरीद किया गया था, जो भूखण्ड 45 बाई 30 फिट का कुल क्षेत्रफल 1350, जिसके बदिशा उत्तर में बाडमेर जालोर रोड़, पूर्व में 15 फिट का रास्ता व प्याऊ व दक्षिण में गुमना वल्द राजा मेगवाल का प्लोट तथा पश्चिम में धरमा नेनाजी सुंगा खण्डेलवाल का प्लोट आया हुआ था। उक्त भूखण्ड बाबू वल्द छोगाजी रावणा राजपूत निवासी सिणधरी का पट्टा सुदा था जिसका पट्टा दिनांक 25.01.1975 को बाबू के पक्ष में ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा जारी किया गया। बाबू के पक्ष में जारी पट्टा के बदिशा पश्चिम में धरमा वल्द नेनाजी सुंगा खण्डेलवाल का भूखण्ड का पडोस होना बताया गया है, जो धरमा वल्द नेनाजी द्वारा यह भूखण्ड उनके सगे भाणजे अचलचंद उर्फ अचलदास पुत्र गुणेशमलजी को बेचान किया गया तथा लक्ष्मणा वल्द मंगला से अचलचंद ने जरिये रजिस्ट्रीसुदा एक ओर भूखण्ड खरीदा। उक्त दोनो भूखण्ड जो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा खरीदे थे, उस भूखण्डों में से 30 बाई 70 फिट हक हिस्सा अचलदास द्वारा आगे मोमताराम को बेचान किया गया है एवं शेष हिस्सा 15 बाई 70 फिट पर आज रोज भी अचलदास का कब्जा व उपयोग उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 3 के बैचान के बाद शेष भूखण्ड 15 बाई 70 में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के नाम नाप 53 गुणा 45 का पट्टा संख्या 2048 जारी कर किया गया है, जो अप्रार्थी संख्या 3 के हिस्सा का भूखण्ड है। उक्त भूमि पर पूर्व में जितेन्द्र के नाम पट्टा संख्या 4 में वर्णित नाप, बाबू छोगा के पट्टा नाप, गमना



पुत्र राजा के पट्टे का नाप, आसुराम पुत्र कोजाराम के नाम जारी पट्टा वर्ष 1975 का नाप एवं विभिन्न मुकदमों में उक्त भूमि का नाप 30 बाई 45 का होना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड जो बाबू के पक्ष में जारी पट्टा नाप एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा नाप अधिक जारी करने से अप्रार्थी संख्या 3 का खरीदसुदा भूखण्ड का नाप ओवरलेप होने से पूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 3 का भूखण्ड प्रभावित होकर भूखण्ड के नाप को कम किया गया है। आपसी सहमति अप्रार्थी संख्या 4 विक्रम कुमार द्वारा स्वर्गीय भंवरलाल के वारिसान मुख्यारनामा के आधार पर दिनांक 06.08.2024 को देना बता रहे हैं तथा दुसरी सहमति जितेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल के द्वारा आगे पिता छगनलाल को दिनांक 06.08.2024 को देना बता रहे हैं, जबकि जितेन्द्र कुमार का इसी विवादित भूखण्ड का पट्टा श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा दिनांक 04.02.2019 को निरस्त किया जा चुका है जो स्वर्गीय भंवरलाल द्वारा निरस्त करवाया गया है। जिससे जितेन्द्र कुमार किसी प्रकार की सहमति अपने पिता छगनलाल के पक्ष में देने का अधिकारी नहीं होने से बिना किसी दस्तावेज व बिना किसी आधार के सहमति दी गयी है जो अवैधानिक दस्तावेज होने से तथा ग्राम पंचायत से मिलकर अवैधानिक पट्टा जारी करवाया गया है। वादग्रस्त स्थल का व्यवसायिक उपयोग में लेते हुए भी आवासीय पट्टा जारी किया गया है। वादग्रस्त भूखण्ड स्वर्गीय भंवरलालजी से खरीद करना बताकर आलौच्य पट्टा जारी किया गया। धारा 145 सीआरपीसी में उक्त भूखण्ड 20 बाई 20 फिट का अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल ने स्वर्गीय भंवरलाल का किरायेदार होना होना स्वीकार किया है, जिससे स्पष्ट है कि आलौच्य पट्टा आवासीय व पुश्तैनी जारी किया हुआ। आलौच्य पट्टा क्रमांक 2408 दिनांक 20.09.2024 का नाप व पडोस का बाबूराम के पक्ष में जारी पट्टा वर्ष 1975 से नाप व पडोस मेल नहीं खा रहे हैं। धारा 145 सीआरपीसी के आदेश दिनांक 31.03.1996 की निगरानी जिला एवं सेशन न्यायालय बालोतरा के आदेश दिनांक 06.08.1997 से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 को वादग्रस्त भूखण्ड बाबत किसी प्रकार के हक व अधिकार नहीं दिये गये हैं। बाबू से गुणेशमलजी के जीवनकाल में ही गुणेशमलजी द्वारा अपने बड़े पुत्र भंवरलाल खण्डेलवाल के नाम करवाया गया, जबकि इस वादग्रस्त भूखण्ड की खरीद स्वर्गीय गुणेशमलजी द्वारा संयुक्त परिवार के कर्ता होने से रकम अदा कर संयुक्त भूखण्ड के रूप में खरीद की गयी थी। स्वर्गीय भंवरलाल द्वारा गुणेशमलजी के अन्य वारिसान को हक हिस्सा अदा किये बिना आलौच्य बेचाननामा, इकरारनामा एवं आलौच्य पट्टे इत्यादी जारी किये हैं, जबकि अप्रार्थी संख्या 3 अचलचंद व उनके भाईयो का वादग्रस्त भूखण्ड में हक व अधिकार निहित है। आलौच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 के भूखण्ड के स्वामित्व की भूमि को ओवरलिपिंग पट्टा अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा बिना किसी सार्वजनिक सूचना एवं अप्रार्थी संख्या 3 को सूचित किये बिना अवैधानिक रूप से प्राप्त किया है। वादग्रस्त भूखण्ड के बदिशा दक्षिण में 10 फिट की गली थी तथा उसके बाद भंवरलाल का खरीदसुदा भूखण्ड था जो भूखण्ड रतनलाल ने खरीदा तथा रतनलाल ने वेनाराम को बेचान किया गया, जिसकी निगरानी सं. 2025/44 बअनवान वेनाराम बनाम सुखराज श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल द्वारा अपने भाई सुखराज के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करवाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि छगनलाल जो आदतन लोगों की भूमि हडपने का कार्य पिछले काफी वर्षों से कर रहे हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी



जिला कलेक्टर
बालोतरा

संख्या 1 व 4 ने कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड पर बाबु सोगा के नाम जारी पट्टा वर्ष 1975 को विकास अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, इसके प्रत्युत्तर में विकास अधिकारी सिणधरी द्वारा उसी वर्ष में जारी पट्टा धारक गुमना पुत्र राजा के पड़ोस में बाबु का प्लॉट होना बताया गया एवं आसुराम पुत्र कोजाराम के नाम जारी वर्ष 1975 में पड़ोस में गमना का प्लॉट होना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आलोच्य भूखण्ड पर बाबु पुत्र सोगा का पट्टा नियमानुसार विकास अधिकारी सिणधरी द्वारा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 1 अनुसार पट्टा जारी करने वाले आवंटी का उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षों से अधिक पुराने आवासीय घर पर कब्जा होना चाहिए, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में अपने भूखण्ड किस श्रेणी का है तथा अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को जारी करते समय पंचायती राज नियम 157(1) की पालना नहीं की गई है। इसके अलावा पंचायती राज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आमंत्रित कर व हस्ताक्षर कर चस्था करनी होती है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस कहीं पर चस्था किया व हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 की भी पालना नहीं की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.08.2024 से पूर्व ही उक्त आलोच्य पट्टा की मिसल दर्ज दिनांक 05.08.2024 को ही दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इससे स्पष्ट होता है कि आलोच्य पट्टा 30 दिन के भीतर जारी किया गया है, जबकि पंचायतीराज अधिनियम में 30 दिन केवल आपति आमंत्रित की जाती है। इसके अलावा उक्त आलोच्य भूखण्ड पर जितेन्द्र पुत्र छगनलाल के नाम का पट्टा जारी हो रखा था, जो अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा खारीज किया गया। उक्त भूखण्ड पर पूर्व में पट्टा जारी होने उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया है, जो नियम विरुद्ध है। किसी भी भूमि पर एक बार पट्टा जारी होने के बाद उसी भूमि पर पट्टा नहीं बनाया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी जितेन्द्र के नाम पट्टा जो अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा खारीज किया है, उनके विरुद्ध जितेन्द्र द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर विवाद होने के उपरांत भी उक्त आलोच्य पट्टा छगनलाल के नाम जारी किया गया, जो पंचायतीराज के नियम विरुद्ध है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

13. अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन किया कि अनिगराकार सं. 4 व उसकी सभी बहिनो के द्वारा उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध मे निष्पादित उपरोक्त राजीनामा दिनांक 31.05.2024 के प्रभाव को बेअसर करवाने एकल हक स्वामित्व के कब्जासुदा भूखण्ड मय परिसर को कपटपूर्वक हड़पने के आशय से प्रार्थी रतनलाल द्वारा फर्जी इकरारनामा भूखण्ड बेचान दिनांक 20.02.2012 भंवरलालजी के हस्ताक्षरो की कूटरचना कर जालसाजी की गई। उक्त भूखण्ड प्रार्थी द्वारा भवरलाल से खरीदना होना बताया गया, लेकिन उक्त इकरारनामा पर अप्रार्थी संख्या 4 के पिता हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशान आदि ही किये और न



जिला कलेक्टर

जयपुर

ऐसा कोई बेचान आदि ही किया गया। उपरोक्त प्रकरण के मध्यक्षेपी प्रार्थी अचलदास जो वर्तमान निगरानी प्रकरण में पत्रावली पर पक्षकार बतौर अप्रार्थी संख्या 3 उसके ही आवेदन पर बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 4 के पिता स्व. भंवरलाल का सगा भाई है तथा उन दोनों के आपस में हमेशा से पारिवारिक मन-मुटाव रहा था। अचलदास का प्रश्नगत पट्टासुदा भूखण्ड मय परिसर में कोई हक, अधिकार व मौके पर कोई आंशिक कब्जा ईत्यादि तक नहीं है। प्रार्थी द्वारा कथित भूखण्ड के पड़ोस भी मौके की वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। उक्त आलोच्य भूखण्ड बनाप 53 बाई 45 फीट कुल 2385 वर्ग फीट जो अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं का जरीये पंजीकृत पट्टा विलेख दिनांक 20.09.2024 के एकल स्वामित्वसुदा कब्जासुदा का हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा पत्रावली विधिवत् कायम की एवं सभी आवश्यक औपचारिकताओ व कानूनी प्रक्रिया का निर्वहन कर पट्टा क्रमांक सं. 2408 जारी किया गया तथा दिनांक 08.10.2024 को कानूनी नियमों के तरीके से पंजीबद्ध किया गया। ऐसे अनाधिकृत इकरारनामा से प्रार्थी को कोई हक अधिकार स्वत्व: प्राप्त नहीं हुए और न विधि के अन्तर्गत हो ही सकते हैं। उक्त इकरारनामा जो कि अपूर्ण बेचान करार है जिससे प्रार्थी को केवल सक्षम सिविल न्यायालय में मात्र विनिर्दिष्ट अनुबन्ध पालना हेतु कार्यवाही करने का ही अधिकार हो सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 के एकल हक स्वामित्व के कब्जासुदा भूखण्ड मय परिसर को कपटपूर्वक हड़पने के आशय से अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के साथ छल कपट करने की बदनियति से उसको अपना मुख्य आधार दस्तावेज बनाकर यह झूठा प्रकरण विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल का ही कब्जा था। प्रार्थी ने अपने निगरानी प्रकरण में ऐसा कोई असल पट्टा वर्ष 1975 बाबूराम द्वारा बेचान करार पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। ग्राम पंचायत सिणधरी ने अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पर ही एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के रिट प्रकरण के दिनांक 12.08.2024 के निर्देशानुसार ही उसके नाम पट्टा पत्रावली कायम कर प्रक्रिया आगे आरम्भ करते हुये सभी विधिक औपचारिकताओ व प्रक्रिया का सम्यक् निर्वहन कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के आज्ञापक प्रावधानों का समुचित रूप से पालन कर पट्टा क्रमांक सं. 2408 अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत व असत्य तथ्यों पर आधारित होने से व्यय सहित खारिज फरमायी जावें।

14. हमने पत्रावली में उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान द्वारा मिसल संख्या 06/2024-25 पर पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या 01/20.09.2024 के अनुपालना में आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.09.2024 को ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान की ओर से जारी आलोच्य पट्टा के विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 2408 पर जारी किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान से



जिला कलेक्टर
जयपुर

उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन दिनांक 05.08.2024 को होना बताया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भूखण्ड किस श्रेणी का है, कितने वर्षों का कब्जा है, का अंकन नहीं होना पाया गया और न ही उस आवेदन पर सरपंच के हस्ताक्षर पाया गया तथा अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होना पाया गया, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के पक्ष में पंचायतीराज नियम 157(1) के तहत आलोच्य पट्टा जारी होना पाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के पक्ष में जारी पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 1 अनुसार पट्टा जारी करने वाले आवंटी का उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षों से अधिक पुराने आवासीय घर पर कब्जा होना चाहिए, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में भूखण्ड किस श्रेणी का है एवं कितने वर्षों का कब्जा है, का अंकित नहीं किया गया तथा अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को जारी करते समय "पंचायती राज नियम 157(1) के तहत 50 वर्ष से अधिक पूर्व निर्मित मकानों हेतु 100/- या 200/- रु की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने उपरांत पट्टा जारी किया जा सकेगा" की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। पंचायती राज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आमंत्रित कर व हस्ताक्षर कर चस्पा करनी होती है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में उक्त आलोच्य भूखण्ड का आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस कहां पर चस्पा किया व हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 "निर्दिष्ट नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी", की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। इसके अलावा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें पुर्व में उक्त आलोच्य भूखण्ड पर ग्राम पंचायत द्वारा जितेन्द्र पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के नाम पट्टा संख्या 04 दिनांक 20.12.2007 को जारी किया, को न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा दिनांक 04.02.2019 को खारीज किया गया, बताया गया। न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर के निर्णय दिनांक 04.02.2019 के विरुद्ध जितेन्द्र पुत्र छगनलाल द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका S.B.Civil Writ Petition no 4926/2019 पेश की तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 12.08.2024 को निर्णय पारित किया गया। राजस्थान पंचायतीराज में नियम है कि विवादित भूखण्ड का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, जबकि उक्त आलोच्य भूखण्ड विवादित होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल द्वारा दिनांक 05.08.2024 को ही आवेदन किया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.08.2024 को बैठक कार्यवाही रजिस्टर में इंद्राज कर आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के नाम पट्टा जारी किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम



जिला कलक्टर
बीकानेर

पंचायत द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने में पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने निर्णय में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के नाम आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जो S.B.Civil Writ Petition no 4926/2019 के पक्षकार नहीं होने के बावजूद छगनलाल के नाम पट्टा जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा उच्च न्यायालय की पालना नहीं करते हुए तथा पंचायतीराज अधिनियम की पालना नहीं करते हुए आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 4 ने कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड पर बाबु सोगा के नाम जारी पट्टा वर्ष 1975 को विकास अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा बाबु सोगा के संबंध में रिकॉर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें विकास अधिकारी सिणधरी द्वारा उसी वर्ष 1975 में जारी पट्टा धारक गुमना पुत्र राजा के पड़ोस में बाबु का प्लॉट होना अंकित किया गया बताया गया एवं आसुराम पुत्र कोजाराम के नाम जारी वर्ष 1975 में पड़ोस में गमना का प्लॉट होना बताया गया, इससे प्रतीत होता है कि आलोच्य भूखण्ड पर बाबु पुत्र सोगा का पट्टा नियमानुसार विकास अधिकारी सिणधरी द्वारा जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा खरीदे गये भूखण्ड पर आलोच्य पट्टा उक्त आलोच्य भूखण्ड का नाप 53 गुणा 45 का पट्टा संख्या 2048 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है, जबकि उक्त भूमि पर पूर्व में जितेन्द्र के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 4 में वर्णित नाप, बाबु छोगा, गमना पुत्र राजा, आसुराम पुत्र कोजाराम के नाम जारी पट्टा वर्ष 1975 का नाप एवं विभिन्न मुकदमों में उक्त भूमि का नाप 30 बाई 45 का होना बताया गया। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें उक्त भूमि पर पूर्व में जितेन्द्र के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 4 में वर्णित नाप, बाबु छोगा, गमना पुत्र राजा, आसुराम पुत्र कोजाराम के नाम जारी पट्टा वर्ष 1975 का नाप एवं विभिन्न मुकदमों में उक्त भूमि का नाप 30 बाई 45 का होना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी छगनलाल के नाम जारी अधिक नाप का एवं अप्रार्थी संख्या 3 के भूखण्ड का पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा मुकदमा संख्या 25/1988 निर्णय दिनांक 31.10.1996, निगरानी प्रकरण संख्या 1/97 निर्णय दिनांक 06.08.1997 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर, निगरानी संख्या 34/2015 निर्णय दिनांक 04.02.2019 न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर आदि प्रकरणों में भी छगनलाल का कब्जा नहीं माना गया है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल का उक्त आलोच्य भूखण्ड पर कहीं भी कब्जा नहीं रहा। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 4 ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड भंवरलाल से जरिये इकरारनामा बताया गया, वो फर्जी इकरारनामा भूखण्ड बेचान दिनांक 20.02.2012 भंवरलालजी के हस्ताक्षरों की कूटरचना कर जालसाजी की गई। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी द्वारा भंवरलाल द्वारा दिनांक 20.02.2012 को जरिये इकरारनामा खरीद करना बताया है। अगर उक्त इकरारनामा फर्जी है तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 4 सक्षम सिविल न्यायालय चाराजोही करते हेतु स्वतंत्र है। साथ ही ग्राम पंचायत की पत्रावली में



बयान फार्म नहीं होना पाया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मिसल कम्प्युटरकृत प्रारूप निकालकर उसमें खानापुर्ति करना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.06.2024 जारी करने में पंचायतीराज नियमों की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने से एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्टि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

15. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान (वर्तमान नगर पालिका सिणधरी) द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 छगनलाल के नाम जारी पट्टा संख्या 2408 दिनांक 20.09.2024 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से उक्त आलोच्य पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

16. निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा
जिला कलेक्टर
बालोतरा